SAF Social Axiom Foundation

ChildrenAgainstChildAbuse

प्रोजेक्ट काका (CACA)

सपोर्ट–स्टाफ बुकलेट

आपको और आपके बच्चे को चाइल्ड एब्यूज (बाल शोषण) के खिलाफ सशक्त बनाने के लिए ओर बच्चों को खुश, स्वस्थ ओर सुरक्षित रखने के लिए

HND

यह बुकलेट **www.projectcaca.org** से अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में डाउनलोड की जा सकती है।

पार्टनर

CSJ | Fortis | edusynergies

समर्थन:

स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटीज – (SLSA) और स्टेट कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स – (SCPCR)।

RED-HND-01

www.projectcaca.org

इंडेक्स

1. यह कंपेनियन बुकलेट किसे पढ़नी चाहिए? 01
2. स्कूल की सेफ्टी पॉलिसी 01
3. काका (CACA) सेफ्टी वर्कबुक्स 02
4. बाल अधिकार 03
5. कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स (CPCR) एक्ट / बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम 03
6. जुवेलाइन जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन) एक्ट – JJ एक्ट / किशोर न्याय (देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम – JJ अधिनियम 04
7. प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्सुअल ओफ्फेंसेस एक्ट – POCSO (पोक्सो) / लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 06
8. POCSO E–BOX (पोक्सो ई–बॉक्स) 09
9. नैशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री –NDSO 10
10. नैशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटीज – NALSA (नाल्सा) 11
11. काका (CACA) सेफ्टी वर्कबुक्स में शामिल सरकारी लोगो/नीतियां/योजनाएं/हेल्पलाइन नम्बर्स 12

पब्लिशड बायः एडुसिनर्जिस फॉर सोशल एक्सिओम फाउंडेशन (SAF)
प्रिंटेड बायः रेपरो इंडिया लिमीटेड

डिस्क्लेमर – यह बुकलेट किसी योग्य विशेषज्ञ की सलाह का विकल्प नहीं है। पाठक के फायदे के लिए सामग्री और विभिन्न कानूनों के प्रावधानों को सरल बनाया गया है। यह बुकलेट किसी कानून की जगह नहीं लेती है।

© 2021 कॉपीराइट, SAF – सोशल एक्सिओम फाउंडेशन, आल राइट्स रिजर्व्ड

1. यह कंपेनियन बुकलेट किसे पढ़नी चाहिए?

यह बुकलेट स्कूल की सेफ्टी पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों को पढाई जा रही काका (CACA) सेफ्टी वर्कबुक्स की साथी है। वर्कबुक्स प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण भाग हैं। इसके अलावा, प्रोजेक्ट में स्कूल के शिक्षक, माता–पिता और सपोर्ट–स्टाफ के लिए कंपेनियन बुकलेट्स और वर्कशॉप हैं। सेफ्टी वर्कबुक्स हमारे बच्चों को उनके अधिकारों (बाल अधिकार), लैंगिक समानता और चाइल्ड एब्यूज (बाल शोषण) के बारे में सिखाती हैं। वर्कबुक्स चाइल्ड एब्यूज (बाल शोषण) की रोकथाम पर केंद्रित हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा के अलावा, वर्कबुक्स में स्वास्थ्य और हाईजीन (स्वच्छता) के विषय शामिल हैं। वर्कबुक्स में बच्चे, शिक्षक, माता–पिता, दादा–दादी और सपोर्ट–स्टाफ विभिन्न पात्रों के रूप में दिखाई देते हैं। माता–पिता की मदद के बिना बच्चे वर्कबुक्स को नहीं समझ पाएंगे। माता–पिता, शिक्षकों और सपोर्ट–स्टाफ के लिए बुकलेट्स अंग्रेजी, हिंदी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हैं, ताकि वे खुद को सेफ्टी वर्कबुक्स के अनुसार ढाल सकें।

यह कंपेनियन बुकलेट सपोर्ट–स्टाफ के लिए है, जिनमें से कुछ माता–पिता और दादा–दादी भी हैं। तथापि, कोई भी व्यक्ति जो बच्चों की देखभाल करता है, उसे इस बुकलेट को पढ़ने में रुचि होगी। आख़रिकार, हम सभी चाहते हैं कि बच्चे खुश, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। सपोर्ट–स्टाफ – स्कूल का फुल या पार्ट–टाइम और कॉन्ट्रैक्टुअल (ठेका संबंधी) जैसे कि ड्राइवर, कंडक्टर, स्वीपर (सफाई कर्मचारी), मेड्स (सहायिका), आदि को बच्चों से नियमित रूप से बातचीत करनी होती है। उन्हें बच्चों की सेफ्टी से जुड़े विभिन्न कानूनों को समझने की ज़रूरत है।

2. स्कूल की सेफ्टी पॉलिसी

प्रोजेक्ट काका (CACA) विभिन्न संगठनों द्वारा जारी किए गए विभिन्न सुरक्षा गाइडलाइंस (दिशा–निर्देश), नियमों और सर्कुलर का पालन करता है, जैसे कि कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स (बाल अधिकार संरक्षण आयोग), सरकारी मंत्रालय और विभाग, स्कूल बोर्ड, सुप्रीम और हाई कोर्ट आदि, जिनका हर स्कूल को पालन करना होता है। हर एक स्कूल को अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित श्रेणियों की सुरक्षा के लिए तैयारी करनी होती है।

स्कूलों के लिए चाइल्ड सेफ्टी की श्रेणियां

1. इंफ्रास्ट्रक्चर (मूलभूत सुविधाएँ) | 2. स्वास्थ्य | 3. ट्रांसपोर्टेशन (परिवहन) | 4. छात्र सुरक्षा तंत्र | 5. व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक और सेक्सुअल सेफ्टी (यौन सुरक्षा) | 6. रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया तंत्र | 7. आपातकालीन तैयारी और आपदा प्रबंधन | 8. साइबर सेफ्टी

प्रोजेक्ट काका (CACA), बच्चों को केंद्र में रखते हुए, सुरक्षा की उपरोक्त श्रेणियों पर बच्चों, माता–पिता और शिक्षकों, और सपोर्ट–स्टाफ को सशक्त, शिक्षित और संवेदनशील बनाता है। इस प्रोजेक्ट में बाल अधिकारों, लैंगिक समानता और चाइल्ड एब्यूज (बाल शोषण) के शैक्षणिक, कानूनी और साइकोलॉजिकल (मनोवैज्ञानिक) पहलुओं को शामिल किया गया है।

3. काका (CACA) सेफ्टी वर्कबुक्स

'कोमल' एक लघु कार्टून फिल्म है जो बच्चों को चाइल्ड सैक्सुअल एब्यूज (बाल यौन शोषण) के खिलाफ सशक्त बनाती है। NGO – चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन ने इसे भारत सरकार की मदद से तैयार किया है। कोमल किसी भी सामान्य 7 वर्षीय लड़की की तरह है, जिससे दुर्भाग्य से, उसके पड़ोसी द्वारा एब्यूज (दुर्व्यवहार) किया जाता है। फिल्म बच्चों को सेफ – अनसेफ टच के बारे में बताती है, ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सकें। काका (CACA) सेफ्टी वर्कबुक्स कोमल फिल्म पर आधारित हैं। वे उम्र–उपयुक्त और प्रगतिशील तरीके से, फिल्म में शामिल विभिन्न सुरक्षा सिद्धांतों को सिखाती हैं जैसे कि:

- सेफ – अनसेफ टच
- गुप्त बातें
- भरोसेमंद वयस्क
- इसमें आपकी गलती नहीं है
- बताना
- चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098
- मुखर होना (अपनी बात पुर जोर तरीके से रखना), आदि।

स्कूल में बच्चों को कोमल फिल्म दिखाई जा रही है। माता–पिता, दादा–दादी, स्कूल के शिक्षकों और सपोर्ट–स्टाफ को भी इसे देखना चाहिए। फिल्म अंग्रेजी, हिंदी और विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। इसे यूट्यूब (YouTube) – इंटरनेट पर 'कोमल चाइल्डलाइन' और आपकी भाषा जैसे तमिल, हिंदी आदि लिखकर आसानी से खोजा जा सकता है।

वर्कबुक्स 3 पक्के यानि खास दोस्तों के आस–पास घूमती हैं: एक लड़की – सना; एक लड़का – अर्पित, और एक बाघ, पोक्सो। ये 3 सहपाठी भी हैं।

पोक्सो

सना

अर्पित

सर्वे 2007 – मिनिस्ट्री ऑफ वीमन एंड चाइल्ड डेवल्पमेंट (MW&CD) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकारः हर दूसरा बच्चा, लड़का हो या लड़की, उसे सैक्सुअल एब्यूज (यौन शोषण) के एक या अधिक रूपों का सामना करना पड़ता है। लड़के भी, लड़कियों की ही तरह, सैक्सुअल एब्यूज (यौन शोषण) के चपेट मे आ सकते हैं। ज्यादातर मामलों में, दुर्व्यवहार करने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे बच्चा जानता है।

4. बाल अधिकार

18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा (जुवेलाइन) कहा जाता है। अन्य सभी व्यक्तियों को वयस्क कहा जाता है। बड़ों की तरह बच्चे भी सिटिज़न (नागरिक) होते हैं। उनके पास वे सभी नागरिक अधिकार हैं जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन (संविधान) में हैं। उनके कुछ खास अधिकार भी हैं, जैसे किः

- ✓ बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में जानने का अधिकार है।
- ✓ बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार है।
- ✓ बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने का अधिकार है।
- ✓ बच्चों को भरपेट खाना प्राप्त करने का अधिकार है।
- ✓ बच्चों को आर्थिक और सैक्सुअल (यौन) शोषण से बचाए जाने का अधिकार है।

आदि।

बाल अधिकारों पर आधारित कई कानून और सरकारी योजनाएं हैं। सेफ्टी वर्कबुक्स हमारे बच्चों को उनके बारे में सूचित करती हैं। याद रखें, यह हर वयस्क की जिम्मेदारी है कि बच्चों को उनका अधिकार मिले।

5. कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स (ब्व्ब्) एक्ट

कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स एक्ट (2005) नैशनल कमीशन – NCPCR और स्टेट कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड - SCPCR इस एक्ट के अंतर्गत गठित किए गए हैं। कमीशंस (आयोग), बाल अधिकारों और संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्येक कमीशन का प्रमुख एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होता है।

NCPCR
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS

कमीशंस के कई कार्य हैं जैसे कि बाल अधिकारों के हनन होने की शिकायत मिलने पर जांच करना ओर उसे उचित प्राधिकारियों जैसे कि पुलिस के सामने लाना जिससे उचित कार्यवाही की जा सके। वो स्वयं (सुओ मोटो) बिना किसी शिकायत दर्ज होने पर भी जाचं कर सकती है।

6. जुवेलाइन जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन) एक्ट – JJ एक्ट

यह एक्ट पूरे भारत में लागू है। यह बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। यह उन बच्चों से संबंधित है जो श्रेणी A और B में आते हैं:
श्रेणी A: वे बच्चे जिन्होंने कानून तोड़ा है (चिल्ड्रेन इन कनफ्लिक्ट विद लॉ)।
श्रेणी B: वे बच्चे जिनको देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास की आवश्यकता है, जैसे एक बच्चा जो :

- बिना घर या बसे हुए स्थान पर पाया जाता है – अनाथ, त्यागा हुआ, आदि;
- मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है और उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी उपयुक्त व्यक्ति नहीं है;
- विवाह की आयु प्राप्त करने से पहले विवाह कर रहा है और जिसके माता–पिता या परिवार के सदस्यों के ऐसे विवाह के लिए जिम्मेदार होने की संभावना है;

आदि।

> श्रेणी A में होने वाला बच्चा श्रेणी B में भी आ सकता है। उदाहरण के लिए, एक अनाथ जो कानून को तोड़ता है।

चाइल्ड वेलफेयर कमेटी – CWC / बाल कल्याण समिति CWC
चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (बाल कल्याण समिति) सुनिश्चित करती हैं और व्यवस्था करती हैं कि बच्चों को देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास प्राप्त हो। CWC में एक चेयरपर्सन (अध्यक्ष) और चार अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों में से कम से कम एक महिला होती है और दूसरा बच्चों से संबंधित मामलों का विशेषज्ञ होता है। CWC के समक्ष कोई भी व्यक्ति बच्चे को पेश कर सकता है, जिसमें खुद बच्चा भी शामिल है।

- ✓ CWC के समक्ष कोई भी व्यक्ति बच्चे को पेश कर सकता है, जिसमें खुद बच्चा भी शामिल है।
- ✓ चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकता है, जिसमें खुद बच्चा भी शामिल है।

जुवेलाइन जस्टिस बोर्ड– JJB

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (जिन्हें अपराधी नहीं कहा जाता है) को जुवेलाइन जस्टिस बोर्ड– JJB के सामने पेश किया जाता है, न कि वयस्कों के लिए बनी सामान्य अदालत में। JJB में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट (न्यायिक मजिस्ट्रेट) और दो सोशल वर्कर (समाज सेवी) होते हैं, जिनमें से कम से कम एक महिला होती है। JJB कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के संबंध में एक इंक्वायरी (मुकदमा नहीं) करता है और JJ एक्ट के अनुसार ऑर्डर पास करता है। याद रखें, किसी बच्चे को कभी भी पुलिस लॉक–अप या जेल में नहीं रखा जा सकता है। जब JJB को पता चलता है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की भी ज़रूरत है, तो वह बच्चे को CWC के पास भेज सकता है। याद रखें, JJB, कानून का उल्लंघन करने वाले सभी बच्चों जिन्होने कोई भी अपराध किया हो जैसे चोरी, डकैती, हत्या आदि को सम्बोधित करता है।

स्पेशल जुवेलाइन पुलिस यूनिट – SJPU

बच्चों के मामलों को संभालने वाली पुलिस अलग होती है। उन्हें स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट (SJPU) कहा जाता है। CWC, SJPU और JJB को विशेष रूप से JJ एक्ट के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए जिलावार गठित किया गया है। इसके अलावा, बच्चों से निपटने के लिए हर पुलिस स्टेशन में एक विशेष पुलिस कल्याण अधिकारी होता है।

JJB द्वारा आदेश

JJB, बच्चों द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के क्राइम (अपराधों) के लिए, किसी बच्चे के लिए निम्नलिखित प्रकार के आदेश दे सकता है:

- सलाह या चेतावनी के बाद घर जाना
- समूह परामर्श में भाग लेना
- सामुदायिक सेवा में भाग लेना
- जुर्माना भरना
- अभिभावक/माता–पिता की देखरेख में प्रोबेशन (परख अवधि) पर रिहा किया जाना।
- सुधारात्मक सेवाओं वाले *'स्पेशल होम' में भेजा जाना, लेकिन तीन वर्ष से अधिक के लिए नहीं।
- डी–एडिक्शन सेंटर (नशामुक्ति केंद्र) में भेजा जाना।

*स्पेशल होम (विशेष घर) एक आवासीय स्थान है। विशेष घर में एक बच्चा स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग आदि में भाग ले सकता है।

पुलिस, सरकारी सेवाओं, पासपोर्ट आवेदन आदि के संबंध में भविष्य में किसी भी अयोग्यता के लिए किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड नहीं रख सकती है।

चिल्ड्रन कोर्ट (बाल–न्यायालय)

जब 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे को हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए पकड़ा जाता है और JJB के सामने लाया जाता है, तो JJB यह जांचता है कि क्या बच्चे में एक वयस्क के जैसी मानसिक क्षमता है या नहीं। यदि JJB को पता चलता है कि बच्चे में एक वयस्क के जैसी मानसिक क्षमता है, तो वह बच्चे को चिल्ड्रन कोर्ट (बाल–न्यायालय) में भेज देता है। चिल्ड्रन कोर्ट बच्चे की मानसिक क्षमता पर JJB से सहमत हो सकता है और नहीं भी। यदि चिल्ड्रन कोर्ट JJB से सहमत है, तो बच्चे को वयस्क के रूप में माना जाता है और चिल्ड्रन कोर्ट एक ट्रायल शुरू करता है। हालांकि, किसी भी अपराध के लिए किसी भी बच्चे को जीवन भर जेल की सजा नहीं दी जा सकती है या मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। यदि चिल्ड्रन कोर्ट JJB से असहमत है, तो बच्चे को वयस्क नहीं माना जाता है और चिल्ड्रन कोर्ट ऑर्डर पास करता है जैसा कि पहले "JJB द्वारा आदेश" में उल्लेख किया गया है।

7. प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्सुअल ओफ्फेंसेस एक्ट– **POCSO** (पोक्सो) / लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम

2012 में 18 वर्ष से कम उम्र के सभी लोगों को यौन अपराधों से बचाने के लिए कानून बनाया गया था। POCSO (पोक्सो) पूरे भारत में लागू है। POCSO (पोक्सो) में परिभाषित अपराध जेंडर न्यूट्रल (लिंग के प्रति तटस्थ) हैं। 2019 में कानून में संशोधन किया गया और इसे और कठोर बनाया गया।

मुख्य विशेषताएं:

- आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी।
- बाल सैक्सुअल एब्यूज (यौन शोषण) की सूचना पुलिस को देनी होगी। रिपोर्ट न करना अपराध है। किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा FIR दर्ज करने से इनकार करना भी अपराध है। रिपोर्ट न करने पर 0 से 6 महीने की जेल और/या जुर्माना हो सकता है।
- जिलावार विशेष न्यायालय जो बाल–हितैषी और फास्ट–ट्रैक हैं, का गठन किया गया है। ये अदालतें विशेष रूप से यौन शोषण करने वालों से निपटती हैं। विशेष अदालतों में इन–कैमरा ट्रायल होते हैं। बच्चे को कभी भी आरोपी के संपर्क में नहीं लाया जाता है।
- बच्चे की सहमति को वैध बचाव नहीं माना जाता है।
- पीड़ितों को मुआवजा दिया जाता है।

अपराधों की श्रेणियां

POCSO (पोक्सो) एक्ट के तहत परिभाषित बाल यौन शोषण के विभिन्न अपराध तभी लागू होते हैं जब कोई कार्य किए जाने के पीछे यौन प्रकृति का इरादा होता है। उदाहरणः KG कक्षा के किसी छात्र के द्वारा ऐसा करने की अनिच्छा के बावजूद KG के छात्र के खराब कपड़े बदलने वाली नौकरानी को POCSO (पोक्सो) एक्ट के तहत कवर नहीं किया जाएगा। 'इरादे' का मतलब क्या होता है इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। कोर्ट के सामने मामले के तथ्य और परिस्थितियां सैक्सुअल इरादे की उपस्थिति या अनुपस्थिति का संकेत देंगी।

एक्ट को निम्नलिखित सात श्रेणी A से G में बांटा जा सकता है।
A. सैक्सुअल हरासमेंट (यौन उत्पीड़न)
B. सैक्सुअल असौल्ट (यौन हमला)
C. एग्ग्रावेटेड सैक्सुअल असौल्ट (उत्तेजित यौन हमला)
D. पेनिटेरेटिव सैक्सुअल असौल्ट (वेधनीय यौन हमला)
E. एग्ग्रावेटेड पेनिटेरेटिव सैक्सुअल असौल्ट (उत्तेजित वेधनीय यौन हमला)
F. पोर्नोग्राफिक (अश्लील) उद्देश्यों के लिए बच्चों का इस्तेमाल
G. एबेटमेंट (अपराध मे सहायता करना)

A. सैक्सुअल हरासमेंट (यौन उत्पीड़न): इसमें उन अपराधों को शामिल किया गया है जहां टच (छूना) शामिल नहीं है जैसे भद्दी टिप्पणी करना, पीछा करना, अश्लील तस्वीरें / संदेश भेजना, प्राइवेट पार्टस (गुप्तांग) को दिखाना आदि।
सजाः 0 से 3 वर्षों की जेल और / या जुर्माना।

B. सैक्सुअल असौल्ट (यौन हमला): इसमें उन अपराधों को शामिल किया गया है जहां टच (छूना) शामिल है, लेकिन टच नॉन–पेनिटेरेटिव (गैर–वेधनीय) है जैसे कि बच्चे के प्राइवेट पार्टस (गुप्तांग) को छूना या बच्चे को किसी और के साथ ऐसा करने के लिए कहना, आदि।
सजाः 3 से 5 वर्षों की जेल और जुर्माना भी हो सकता है।

C. * एग्ग्रावेटेड सैक्सुअल असौल्ट (उत्तेजित यौन हमला) (**E** श्रेणी के बाद बॉक्स की जानकारी देखें)

D. पेनिटेरेटिव सैक्सुअल असौल्ट (वेधनीय यौन हमला): बच्चे के छिद्र (मुंह और / या कमर के नीचे का कोई भी हिस्सा) में किसी वस्तु / शरीर के अंग को डालना।
सजाः
a. 10 वर्षों की जेल से लेकर उम्र कैद और जुर्माना।
b. अगर बच्चा 16 वर्ष से कम उम्र का है तो 20 वर्ष की जेल से लेकर उम्र कैद और जुर्माना।

E. * एग्ग्रावेटेड पेनिटेरेटिव सैक्सुअल असौल्ट (उत्तेजित वेधनीय यौन हमला): (निम्नलिखित बॉक्स की जानकारी देखें)

* एग्ग्रावेटेड असौल्ट (उत्तेजित हमले)
सैक्सुअल और पेनिटेरेटिव सैक्सुअल असौल्ट को क्रमशः एग्ग्रावेटेड सैक्सुअल असौल्ट और एग्ग्रावेटेड पेनिटेरेटिव सैक्सुअल असौल्ट के रूप में परिभाषित किया गया है। एक असौल्ट एग्ग्रावेटेड, जिसका मतलब है और अधिक गंभीर हो जाता है जब जिम्मेदारी और विश्वास की स्थिति में होने वाला कोई व्यक्ति बाल यौन शोषण करता है। परिवार के सदस्य, पुलिस कर्मचारी, सशस्त्र बल के कर्मचारी, किसी शैक्षणिक संस्थान/अस्पताल के प्रबंधन या कर्मचारी, आदि, जिम्मेदारी और विश्वास की स्थिति में होने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। सामूहिक बलात्कार, बच्चे की मौत का कारण बनने वाले अपराध, या यदि पीड़ित की उम्र 12 वर्ष से कम है, तो भी असौल्ट को एग्ग्रावेटेड असौल्ट माना जाता है।
सजाएं:
एग्ग्रावेटेड सेक्सुअल असौल्ट के लिए 5 से 7 वर्ष की जेल और जुर्माना।
एग्ग्रावेटेड पेनिटेरेटिव सेक्सुअल असौल्ट के लिए, 20 वर्ष की कठोर जेल से लेकर उम्र कैद और जुर्माना या मृत्युदंड।

POCSO (पोक्सो) एक्ट 2019 में संशोधित किया गया था। संशोधन में बाल पीड़ितों का आयुवर वर्गीकरण, बढ़ी हुई सजाएं, मृत्युदंड आदि की शुरुआत की गई।

F. पोर्नोग्राफिक (अश्लील) उद्देश्यों के लिए बच्चों का इस्तेमालः पोर्नोग्राफिक (अश्लील) सामग्री तैयार करने, उत्पादन, प्रसारण, प्रकाशन, प्रदान करने और वितरण करने के लिए किसी भी माध्यम जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, टेलीविजन चैनल, इंटरनेट या किसी अन्य तकनीक के माध्यम से किसी बच्चे को शामिल करना।
सजाः 3 से 5 वर्षों की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। बार–बार अपराध करने वालों के लिए, जेल लंबी अवधि के लिए होगी।

बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल आदि किसी भी रूप में रखना एक्ट के अंतर्गत दंडनीय है। सजा 0 से 7 वर्षों की जेल हो सकती है, यह कारकों पर निर्भर करता है कि क्या व्यक्ति ने अपराध दोहराया है, पोर्नोग्राफिक सामग्री का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का इरादा है या नहीं, आदि।

G. एम्बेटमेंटः इसका मतलब है कि किसी की अपराध करने में मदद करना। POCSO (पोक्सो) एक्ट के तहत एम्बेटमेंट की सजा अपराध करने वाले व्यक्ति के जितनी ही है।

सबूतों और क्राइम सीन (अपराध स्थल) की सुरक्षा करना

क्राइम (अपराध) के सबूत को सुरक्षित करना आवश्यक है। स्कूल के अधिकारियों को उस क्षेत्र की घेराबंदी करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए जहां दुर्व्यवहार किया गया है और पुलिस को सूचित करना चाहिए। सबूतों को नष्ट करना अपने आप में एक अपराध है।

बच्चे की पहचान की रक्षा करना

बाल पीड़ित की निजता का सख्ती से बचाव किया जाना चाहिए। किसी बच्चे की पहचान में उसका नाम, पता, फ़ोटोग्राफ, परिवार के विवरण, स्कूल, पड़ोस आदि शामिल होता है। स्कूल के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे की पहचान को मीडिया से सुरक्षित रखा जाए। कोई भी व्यक्ति जो स्पेशल कोर्ट (विशेष न्यायालय) की इजाजत के बिना बच्चे की पहचान का खुलासा करता है, उसे 6 महीने से 1 वर्ष तक की जेल और/या जुर्माना हो सकता है।

POCSO (पोक्सो) के तहत झूठी शिकायत

कोई भी व्यक्ति, जो झूठी शिकायत करता है या किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी जानकारी प्रदान करता है, उसे 6 महीने तक की सजा और/या जुर्माना हो सकता है। कोई बच्चा, जो अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, झूठी शिकायत करता है या अपराध के बारे में गलत जानकारी देता है, उसे इस एक्ट के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

8. POCSO E–Box (पोक्सो ई–बॉक्स)

NCPCR ने MW&CD, भारत सरकार के साथ मिलकर POCSO E–Box (पोक्सो ई–बॉक्स) नाम से एक ऑनलाइन ओर प्रतीकात्मक शिकायत बॉक्स बनाया है। यह E–Box (ई–बॉक्स) www.ncpcr.gov.in पर उपलब्ध है। बच्चे सहित कोई भी व्यक्ति, चाइल्ड सैक्सुअल एब्यूज (बाल यौन शोषण) की रिपोर्ट करने के लिए E–Box (ई–बॉक्स) का उपयोग कर सकता है। बच्चे सहित कोई भी व्यक्ति शिकायत करने के लिए टोल–फ्री (पोक्सो ई–बॉक्स) नम्बर 9868235077 या 1800115455 या चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 को सम्पर्क कर सकता है।

पोक्सो ई–बॉक्स

POCSO E-BOX

9. नैशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री – NDSO

सेक्स ऑफेंडर (यौन अपराधियों) पर राष्ट्रीय डेटाबेस पूरे भारत से सेक्स ऑफेंडर का राष्ट्रीय रजिस्टर है। इसमें 2005 से दोषी पाए गए सेक्स ऑफेंडर का पूरा विवरण है, ताकि उनका पता लगाया जा सके और निगरानी रखी जा सके। NDSO 2018 में शुरू हुआ और इसमें 4 लाख से अधिक दोषियों के विवरण हैं। डेटाबेस केवल पुलिस जैसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ (कानून प्रवर्तन एजेन्सी) के लिए सुलभ है, न कि जनता के लिए। पुलिस इस डेटा का इस्तेमाल स्कूलों सहित विभिन्न संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों के सत्यापन के लिए करती है।

10. नैशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटीज – NALSA (नाल्सा)

नैशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटीज (राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण) – NLSA (www.nalsa.gov.in) का गठन लीगल सर्विसेस अथॉरिटीज एक्ट (कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम), 1987 के अंतर्गत किया गया है।

एक्ट के अंतर्गत ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार, POCSO (पोक्सो) पीड़ितों, शेड्यूल कास्ट (अनुसूचित जाति) या शेड्यूल ट्राइब (अनुसूचित जनजाति) के सदस्यों, महिलाओं, बच्चों, गरीब लोगों आदि को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

भारत के चीफ जस्टिस (मुख्य न्यायाधीश) NALSA के प्रमुख हैं। प्रत्येक राज्य में स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटीज – SLSA का गठन किया गया है। SLSA के प्रमुख संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस (मुख्य न्यायाधीश) होते हैं। प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटीज – DLSA का गठन किया गया है। यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (जिला न्यायालय) कॉम्पलेक्स में स्थित हैं और डिस्ट्रिक्ट जज (जिला न्यायाधीश) इसके प्रमुख होते हैं। तालुका स्तर पर तालुका लीगल सर्विसेस कमेटीज भी गठित की जाती हैं। अथॉरिटीज विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए समय–समय पर लोक अदालतों का आयोजन भी करती हैं।

11. काका (CACA) सेफ्टी वर्कबुक्स में शामिल सरकारी लोगो/नीतियां/योजनाएं/हेल्पलाइन नम्बर्स

SAMAGRA SHIKSHA ABHIYAN

FORTIFIED
SAMPOORNA POSHAN SWASTH JEEVAN

REPORT

Child labour - https://pencil.gov.in/Complaints/add

Child sexual abuse - CSA - POCSO E - Box https://ncpcr.gov.in/user_complaints.php **Or** call toll free POCSO Helplines 1800115455, 9868235077, Child Helplines 1098

Food adulteration - SMS/ WhatsApp at - 9868686868

National Cyber Crime Reporting - https://cybercrime.gov.in/

TRACK

A missing Child
https://trackthemissingchild.gov.in/trackchild/index.php

ADOPT

A Child - http://cara.nic.in/

HELP-LINES

The National Disaster Response Force (NDRF) - 9711077372

Railway Police - 1052

Trangender certification by Ministry of Justice and Empowerment, Govt. of India - http://transgender.dosje.gov.in/

NIMHANS for psychosocial support and mental health services to survivors during disasters - 080–46110007

NALSA (Free Legal Aid) - 15100

National common emergency number - 112

Drug de-addiction, Ministry of Social Justice and Empowerment Govt. of India 1800-11-0031

चिल्ड्रन अगेंस्ट चाइल्ड एब्यूज

प्रोजेक्ट काका (CACA)

edusynergies

स्कूल की सेफ्टी पॉलिसी के अंतर्गत
बच्चों के लिए सेफ्टी प्रोग्राम।

काका (CACA) सेफ्टी वर्कबुक्स (किंडरगार्टन से क्लास 9 तक)

वर्कबुक्स के शीर्षक

- माँई बिगिनर्स सेफ्टी वर्कबुक
- माँई फर्स्ट सेफ्टी वर्कबुक
- माँई सेकंड सेफ्टी वर्कबुक
- माँई थर्ड सेफ्टी वर्कबुक
- माँई फोर्थ सेफ्टी वर्कबुक
- माँई फिफ्थ सेफ्टी वर्कबुक
- माँई सिक्स्थ सेफ्टी वर्कबुक
- माँई सेवंथ सेफ्टी वर्कबुक
- माँई एट्थ सेफ्टी वर्कबुक
- माँई नाइंथ सेफ्टी वर्कबुक

HND

Project CACA
Address: EW - 3, Second Floor, Mianwali Nagar, Paschim Vihar, Delhi-110087
Contact No:- 011-40074904, 092054 88402, 092054 88405
E mail: info@projectcaca.org
Website: www.projectcaca.org
@projectcaca | @projectcaca

End the Stigma, Raise Awareness

RED-HND-01